"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 343] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2017 —— श्रावण 13, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–59/2017/वाक/पांच (107). —— छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) जहां अन्यथा उपबंधित न हो, ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 में,–

(i) नियम 24 के उप–नियम (4) में, 22 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से, "नियत तिथि की तीस दिनों की अवधि के भीतर" शब्दों के स्थान पर "30 सितंबर, 2017 को या उसके पूर्व" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) नियम 34 के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"34. मूल्य अवधारण के लिए भारतीय रुपये से भिन्न मुद्रा के विनिमय की दर – (1) कराधेय माल के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में माल के प्रदाय के समय की तिथि के लिए बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अधीन, अधिसूचित विनिमय की दर होगी।

(2) कराधेय सेवाओं के मूल्य के अवधारण के लिए विनिमय की दर अधिनियम की धारा 13 के अनुसार ऐसी सेवाओं के प्रदाय के समय की तिथि के लिए सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निर्धारित विनिमय की दर होगी।"

(iii) नियम 44 में, 1 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से, उप–नियम (2) और (3) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(2) केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर और एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय के लिए उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट रकम का अवधारण पृथक से किया जाएगा।

(3) जहां स्टाक में धारित इनपुटों से संबंधित कर बीजक उपलब्ध नही है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन रकम का प्राक्कलन, यथास्थिति, धारा 18 की उपधारा (4) या धारा 29 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की प्रभावी तारीख को माल की विद्यमान बाजार कीमत के आधार पर करेगा।";

(iv) नियम 46 में, तीसरे परन्तुक के स्थान पर, निम्न परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि माल और सेवाओं की निर्यात की दशा में बीजक में "एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात के लिए प्रदाय/एस.ई.जेड. इकाई को प्रदाय या प्राधिकृत प्रचालन के लिए एस.ई. जेड. डेव्हलपर को प्रदाय" या "एकीकृत कर के संदाय के बिना बॉण्ड या परिवचन पत्र के अधीन निर्यात के लिए प्रदाय/एस.ई.जेड. इकाई को प्रदाय या प्राधिकृत प्रचालन के लिए एस.ई.जेड. डेव्हलपर को प्रदाय", जैसा भी मामला हो पृष्ठांकित होगा और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे के बजाय, निम्नलिखित ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा, अर्थात् :–

(i) प्राप्तिकर्ता का नाम और पता

(ii) परिदान का पता; और

(iii) गंतव्य देश का नाम"

(v) नियम 61 में, 1 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से, उप–नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप–नियमों को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"(5) जहां धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–1 और धारा 38 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–2 में ब्यौरो को प्रस्तुत करने की समय सीमा का विस्तार किया गया है और परिस्थितियों के अनुसार, आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, विवरणी प्ररूप जीएसटीआर–3ख में कॉमन पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से, प्रस्तुत करने हेतु विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(6) जहां विवरणी प्ररूप जीएसटीआर–3ख में प्रस्तुत की गई है, प्ररूप जीएसटीआर–2 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तिथि के पश्चात्–

(a) प्ररूप जीएसटीआर–3 में विवरणी का भाग–ए प्ररूप जीएसटीआर–1, प्ररूप जीएसटीआर–2 के माध्यम से प्रस्तुत किए गए सूचना के आधार पर और पूर्व के कर अवधि से संबंधित दायित्वों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्मित होगा और उक्त विवरणी का भाग–बी संबंधित कर अवधि के प्ररूप जीएसटीआर–3ख में प्रस्तुत विवरणी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित किया जाएगा;

(b) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्ररूप जीएसटीआर–3बी में विवरणी और प्ररूप जीएसटीआर–3 में विवरणी के मध्य विसंगतियों, यदि कोई हो, के आधार पर प्ररूप जीएसटीआर–3 में विवरणी के भाग–बी को संशोधित कर सकेगा और कर तथा अन्य दायित्वों, यदि कोई हो, का निर्वहन कर सकेगा;

(c) जहां प्ररूप जीएसटीआर–3 में इनपुट कर प्रत्यय की राशि प्ररूप जीएसटीआर–3बी के संदर्भ में इनुपट कर प्रत्यय की राशि से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिकी प्रत्यय बही में प्रत्ययित होगी।";

(vi) नियम 83 में, 1 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से, उप–नियम (3) में, दूसरे परन्तुक में, शब्द "उप–धारा" के स्थान पर शब्द "उप–नियम" प्रतिस्थापित किया जाए;

(vii) नियम 89 में, 1 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से, उप–नियम (4) में, खंड (उ) में, शब्द "उपधारा" के स्थान पर शब्द "खंड" प्रतिस्थापित किया जाए;

(viii) नियम 96क में, 1 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से, उप–नियम (5) में, शब्द "बोर्ड" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" प्रतिस्थापित किया जाए;

(ix) प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–1 में, 1 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से, अनुक्रमांक 7 के तालिका (क) में, कॉलम (2) के शीर्षक के स्थान पर शीर्षक "एचएसएन जो लागू हो" प्रतिस्थापित किया जाए;

(x) प्ररूप जीएसटी टीआरएएन–2 में, 1 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से, अनुक्रमांक 4 एवं 5 के तालिका में, कॉलम (1) के शीर्षक के स्थान पर शीर्षक "एचएसएन जो लागू हो" प्रतिस्थापित किया जाए;

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–59 / 2017 / वाक / पांच (107). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–59 / 2017 / वाक / पांच (107) दिनांक 31–07–2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st July 2017

NOTIFICATION

No. 17/2017 – State Tax

No. F-10-59/2017/CT/V (107) . — In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :-

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017,-

(i) in rule 24, with effect from 22nd July, 2017, in sub-rule (4), for the words "within a period of thirty days from the appointed day", the words and figures "on or before 30th September, 2017" shall be substituted;

(ii) for rule 34, the following shall be substituted, namely :-

"34. Rate of exchange of currency, other than Indian rupees, for determination of value.-

(1) The rate of exchange for determination of value of taxable goods shall be the applicable rate of exchange as notified by the Board under section 14 of the Customs Act, 1962 for the date of time of supply of such goods in terms of section 12 of the Act.

(2) The rate of exchange for determination of value of taxable services shall be the applicable rate of exchange determined as per the generally accepted accounting principles for the date of time of supply of such services in terms of section 13 of the Act.";

(iii) in rule 44, with effect from 1st July, 2017, for sub-rules (2) and (3), the following shall be substituted, namely :-

"(2) The amount, as specified in sub-rule (1) shall be determined separately for input tax credit of central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax.

(3) Where the tax invoices related to the inputs held in stock are not available, the registered person shall estimate the amount under sub-rule (1) based on the prevailing market price of the goods on the effective date of the occurrence of any of the events specified in sub-section (4) of section 18 or, as the case may be, sub-section (5) of section 29.";

(iv) in rule 46, for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely :-

"Provided also that in the case of the export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement "supply meant for export/supply to sez unitT or sez developer for authorised operations on payment of integrated tax" or "supply meant for export/supply to sez unit or sez developer for authorised operations under bond or letter of undertaking without payment of integrated tax", as the case may be, and shall, in lieu of the details specified in clause (e), contain the following details, namely,-

(i) name and address of the recipient;

(ii) address of delivery; and

(iii) name of the country of destination:";

(v) in rule 61, with effect from 1st July,2017, for sub-rule (5), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(5) Where the time limit for furnishing of details in FORM GSTR-1 under section 37 and in FORM GSTR-2 under section 38 has been extended and the circumstances so warrant, the Commissioner may, by notification, specify that return shall be furnished in FORM GSTR-3B electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(6) Where a return in FORM GSTR-3B has been furnished, after the due date for furnishing of details in FORM GSTR-2—

(a) Part A of the return in FORM GSTR-3 shall be electronically generated on the basis of information furnished through FORM GSTR-1, FORM GSTR-2 and based on other liabilities of preceding tax periods and PART B of the said return shall be electronically generated on the basis of the return in FORM GSTR-3B furnished in respect of the tax period;

(b) the registered person shall modify Part B of the return in FORM GSTR-3 based on the discrepancies, if any, between the return in FORM GSTR-3B and the return in FORM GSTR-3 and discharge his tax and other liabilities, if any;

(c) where the amount of input tax credit in FORM GSTR-3 exceeds the amount of input tax credit in terms of FORM GSTR-3B, the additional amount shall be credited to the electronic credit ledger of the registered person.";

(vi) in rule 83, with effect from 1st July 2017, in sub-rule (3), in the second proviso, for the word "sub-section", the word "sub-rule" shall be substituted;

(vii) in rule 89, with effect from 1st July 2017, in sub-rule (4), in clause (E), for the word "sub-section", the word "clause" shall be substituted;

(viii) in rule 96A, with effect from 1st July 2017, in sub-rule (5), for the word "board", the word "State Government" shall be substituted;

(ix) in FORM GST TRAN-1, with effect from 1st July 2017, in Sl. No. 7, in Table (a), for the heading of column (2), the heading "HSN as applicable" shall be substituted;

(x) in FORM GST TRAN-2, with effect from 1st July 2017, in Sl. No. 4 and 5, in the Table, for the heading of column (1), the heading "HSN as applicable" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017